<u>राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

क्रमांक 138-39/स्था./2023 ग्वालियर,दिनांक 13/01/2023

प्रति,

प्रमुख राजस्व आयुक्त,
कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश,
राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

विषयः- <u>विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 भेजने बावत्।</u>
सन्दर्भः- <u>आपका पत्र क्रमांक एफ-9-2/2022/सात-1 भोपाल दिनांक 03-01-2023</u>

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 में राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से संबंधित जानकारी (मंगल फॅान्ट में) तैयार कर सॉफ्टकॉपी एवं हार्डकॉपी में तैयार कर संलग्न आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

सचिव
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

पृ०क्र० 138-39/स्था./2023 ग्वालियर,दिनांक 13/01/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।

सचिव
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

01 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022

मध्यप्रदेश राज्य

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 01-11-1956 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ जिसमें:-

1- पूर्व मध्यप्रदेश का महाकोशल क्षेत्र

2- मध्यभारत

3- विन्ध्यप्रदेश

4- भोपाल तथा

5- राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र

सम्मिलित किये गये राज्य के गठन के पहले इन इकाईयों में भूमि तथा विवादों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून/अधिनियम लागू थे जिन्हे लोप किया जाकर दिनांक 02-10-1959 से मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 को लागू किया गया।

2- वर्तमान में मध्यप्रदेश में राजस्व से संबंधित इकाईयां इस प्रकार है:-

क्र0	संभाग	जिले
1	ग्वालियर	ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, और अशोकनगर
2	चंबल	भिण्ड, मुरैना, और श्योपुर
3	इन्दौर	इन्दौर, अलीराजपुर, बड़वानी,धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, बुरहानपुर
4	उज्जैन	उज्जैन, आगर, देवास, मंदसौर,नीमच, रतलाम, शाजापुर
5	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा
6	नर्मदापुरम	होशंगाबाद, हरदा, बैतुल
7	सागर	सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी
8	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली
9	जबलपुर	जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंपुर,सिवनी
10	शहडोल	शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी

संभागों में कमिश्नर राजस्व तथा भूमि से संबंधित विवादों के कार्यो को देखते है। उनकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक जिलें में कलेक्टर रहता है जिसकी सहायता के लिए अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार इत्यादि पदस्थ रहते है ये सभी मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा के अंतर्गत राजस्व अधिकारी परिभाषित किये गये और इन्हे राजस्व न्यायालयों की शक्तियां दी गई है।

राजस्व मण्डल पृष्ठभूमि एवं गठन

मध्यप्रदेश राज्य के गठन के पहले मध्यप्रांत तथा बरार, मध्यभारत, विंध्यप्रदेश क्ष्ोत्रों में राजस्व मण्डल कार्यरत था जबकि भोपाल में राजस्व मण्डल जैसी संस्था नही थी। इन सभी क्षेत्रों में स्थापित राजस्व मण्डलों को 01-11-1956 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एकीकृत करते हुए संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए एक राजस्व मण्डल की स्थापना की गई तथा इसकी मुख्यपीठ ग्वालियर में रखी गई। राजस्व मण्डल, द्वारा मुख्यपीठ के अतिरिक्त भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, एवं सागर में संभागीय मुख्यालयों पर सर्किट कोर्ट लगाये जाते है, जहां संबंधित क्षेत्रों के प्रकरणों की सुनवाई की जाकर उनका निराकरण किया जाता है।

स्वतत्र व निष्पक्ष

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-3 के अंतर्गत राजस्व मण्ल का गठन किया गया है जिसके अनुसार मण्डल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त दो या अधिक सदस्य रहते है। मण्डल के अध्यक्ष, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव स्तर के तथा प्रशासनिक सदस्य व सभी अन्य सदस्य सुपर टाईम स्केल अथवा इससे ऊपर के अधिकारी रहते है। इनमें वरिष्ठतम अधिकारी प्रशासनिक सदस्य होता है। न्यायिक व्यवस्थाक को निष्पक्ष व शासन तंत्र से स्वतंत्र रखने की दृष्टि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य उपलब्धियां राज्य की संचित निधि में भारित रूप में रखी गई है।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 प्रभाव

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन का राजस्व मण्डल पर प्रभाव निम्नानुसार है :-

1- राजस्व मण्डल की नियम बनाने की शक्ति बनाने की शक्तियां वापस ली गई।

2- राजस्व मण्डल की आयुक्त/अपर आयुक्त के द्वितीय अपील में पारित आदेशों का पुनरीक्षिण सुनने के अधिकार समाप्त ।

3- मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी का अधिकार हटाया।

कर्तव्य एवं शक्तियां

मण्डल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है:-

राजस्व मण्डल मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी है। इसके अतिरिक्त मण्डल को मध्यप्रदेश मण्डल को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 के अंतर्गत निम्न अधिकार प्रदत्त किये गये है:-

1- धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्तियां

2- धारा 29 (1) के अंतर्गत मामलों के अंतरण की शक्ति

3- धारा 44 के अधीन अपीलें सुनने की शक्ति

4- धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकन की शक्ति

5- धारा 262 (3) के अंतर्गत राज्य शासन की शक्तियां

मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी के रूप में मण्डल की हैसियत से मण्डल निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करता है:-

1- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 (2) अंतर्गत बने अपीलनियमों के नियम 2 तथा 7 के अधीन पुनरीक्षण एवं अपील के अधिकार।

2- मुद्रांक अधिनियम 1899 के अध्याय 6 के अधीन मुख्य नियंत्रक, प्राधिकारी की शक्तियां।

3- मध्यप्रदेश कोर्ट ऑफ बार्डस एक्ट, 1899 की धारा12 (2) तथा 15 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील सुनने के अधिकार राजस्व मण्डल को दिए गये है।

4- मध्यप्रदेश कृषि खातें की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 4(3) तथा 41 के अंतर्गत राजस्व मण्डल को अपीलीय अधिकार दिए गये हे। तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन मण्डल को पुनरीक्षण के अधिकार भी प्राप्त है।

5- म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 08 अप्रेल 2022 खान खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23ग के तहत राजस्व मण्डल को राजपत्र की धारा 28 के तहत पुनरीक्षण के अधिकार प्राप्त हो गये है।

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को विशेषाधिकार

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संशोधन अधिनियम 2018) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अलावा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 4-1/96/1/9 भोपाल, दिनांक 27-03-1996 द्वारा राज्य शासन ने अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को मध्यप्रदेश के कमिश्नरों, कलेक्टरों एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण करने के अधिकार दिये है। इसके अलावा मध्यप्रदेश लोक न्यास, अधिनियम, 1951 की धारा 4 (-) के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को "पदाधिकारी" नियुक्त किया गया है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (राजस्व मण्डल की प्रक्रिया) नियम 2021 एवं म.प्र. भ-राजस्व संहिता (राजस्व मण्डल की अधिकारिता) नियम 2021 के तहत

डिवीजन बैंच स्थापित की गई है, जिसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट दो सदस्यों से मिलकर बनेगी। अध्याय-2 के तहत रजिस्ट्रार तथा उपरजिस्ट्रार की नियुक्ति का प्रावधान है जिसके तहत अवर सचिव राजस्व मण्डल को उपरजिस्ट्रार का प्रभार दिया गया है।

मण्डल का सचिवालय

प्रशासनिक सहायता तथा दैनिक कार्यो के निष्पादन के उद्देश्य से मण्डल का एक कार्यालय है जिसमें एक सचिव (आई0ए0एस0) संवर्ग के अधिकारी) है। उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के पद स्वीकृत है।

अवर सचिव	2
अनुभाग अधिकारी	2
सहा0 अनुभाग अधिकारी	2
स्टॉफ ऑफिसर	1
लेखाधिकारी	1

इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य पद भी स्वीकृत है। वर्तमान में मण्डल में कुल 115 पदों के विरूद्ध कुल 63 कर्मचारी कार्यरत है।

मण्डल के कार्य/उपलब्धि

1- राजस्व मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से मण्डल द्वारा पुरानी लीक से हटकर कुछ ठोस प्रयोग किये गये हैं जिनके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहें है।

2- राजस्व मण्डल का मुख्यालय (मुख्यपीठ) ग्वालियर में है। वर्तमान में मण्डल में अध्यक्ष सहित तीन पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय है। इन न्यायालयों में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आठ जिलों के प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय पर की जाती है। जन सामान्य को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के अन्य संभागों के 44 जिलों के प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य के छः संभागीय मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा एवं सागर पर सर्किट कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यह प्रयास निर्धारित किये गये कार्यक्रम के अनुसार सर्किट पर प्रकरणों की सुनवाई करें। इससे जहां एक ओर संबंधित क्षेत्र की जनता को आने जाने में होने वाली असुविधा एवं खर्चे से बचाया जा सका है वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर राजस्व प्रशासन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी भी मण्डल को मिलती रही है जिनके निराकरण के लिए यथासमय आवश्यक कदम उठाये गये है।

3- इसके अतिरिक्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय में दायर प्रकरणों को क म्पयूटराईज्ड किये जाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य से अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध हो पा रही है साथ ही प्रकरण में हुये आदेश की प्रति भी ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरणों में पारित आदेशों की नकल भी पक्षकारों को ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे नकल आदि पक्षकारों को त्वरित गति से प्राप्त हो रही है।

4- राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के प्रकरणों के निराकरण में जहां एक ओर प्रयास किये गये है, कि, मण्डल के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा माह में कम से कम 70 एवं इससे अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाये। लेकिन कोरोना पूरा न होने की वजह से सुनवाई बाधित रही और कार्यालय के पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रश्नाधीन वर्ष में 159 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रकरणों में पारित आदेशों की गुणवत्ता में भी सुधार हो, क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरणों में पारित आदेश/निर्णय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कार्य निष्पादन में दलीलों के रूप में कानूनी व्याख्या में सहायक होते है। इसी उद्देश्य में राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकरणोंकी सुनवाई खण्डपीठ के माध्यम से की जा रही है।

5- राजस्व मण्डल के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को Website/App पर उपलब्ध कराया जा रहा है व पुराने आदेश का Digitization कार्य पूर्ण हो चुका है ।

6- **आरसीएमएस साफटवेयर के संबंध में:-** राजस्व मंडल मध्यप्रदेश में आरसीएमएस साफटवेयर का आरंभ जून जुलाई 2018 में किया गया । राजस्व मंडल का आरसीएमएस सॉफटवेयर अन्य अधीनस्थ न्यायलायों के आरसीएमएस सॉफटवेयर से भिन्न है कयों कि इस न्यायलाय की कार्यशैली अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से अलग है।

राजस्व मंडल हेतु निर्मित आरसीएमएस में राजस्व मंडल में प्रचलित पूर्व वर्षों के लंबित सभी प्रकरणों की प्रविष्टि साफटवेयर में की जा चुकी हैं। वर्तमान में जो भी नवीन प्रकरण राजस्व मंडल में आता है उसकी पहले आरसीएमएस में प्रविष्टि की जाती है तथा सॉफटवेयर के माध्यम से ही प्रकरण नंबर जनरेट किया जा रहा है। जिनके प्रकरण क्रमांक संबंधित द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर सॉफटवेयर द्वारा स्वत: भेजे जाते हैं।

मंडल के प्रत्येक न्यायालय में सुनवाई किये जा रहे प्रकरणों की वाद सूची आरसीएमएस में अपडेट की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन की वाद सूची के साथ प्रोसिडिंगस/ अंतरिम आदेश भी स्कैन करके आरसीएमएस पर अपलोड की जा रही है जिससे आमजन प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि तो ज्ञात कर ही सकता है साथ ही प्रकरण में उसकी तारीख पर क्या सुनवाई हुई उसकी जानकारी भी ऑनलाईन देख सकता है एवं उसका प्रिन्ट भी निकाल सकता है। एवं राजस्व मण्डल में भू-राजस्व संहिता के नये नियमों के तहत सुनवाई की जाऐगी।

राजस्व मंडल के प्रकरणों में पारित सभी अंतिम आदेशों को आरसीएमएस पर अपडेट किया जा रहा है । वर्तमान में राजस्व मंडल में पारित सभी आदेश आरसीएमएस पर उपलब्ध हैं। भविष्य में शीघ्र ही राजस्व मंडल के आदेशों को डिजीटल साईन के माध्यम से अपलोड कराने की व्यवस्था भी की जा रही है ।

7- **अभिलेखागार का डिजिटाईजेशन:-** राजस्व मंडल द्वारा मंडल के अभिलेखागार के डिजीटाईजेशन का कार्य कराया जा रहा है जिसमें आरसीएमएस ds आरंभ होने से पूर्व के सभी आदेश स्कैन कर पीडीएफ फार्मेट में अपलोड कर शीघ्र उपल्बध कराये जाऐंगे एवं डिजिटाईजेशन किये गए आदेशों की लिंक राजस्व मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर लगभग सभी आदेश पीडीफ फॉरमेट में उपलब्ध है।

8- **न्यायालयीन प्रकरणों की ऑनलाईन सुनवाई:-** कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउनके पश्चात् कार्यालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में ऑनलाईन वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायालयीन प्रकरण की सुनवाई की गई। वर्तमान में समक्ष में सुनवाई के साथ-साथ वचुर्अल सुनवाई भी जारी है।

09- **नवीन राजस्व भवन:-** राजस्व मण्डल के नवीन कार्यालय संयुक्त राजस्व भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। राजस्व मण्डल नवीन भवन में शिफ्ट किया जाकर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

10- **संभागीय मुख्यालय:-** न्यायालयीन सुनवाई के सुदृढ़िकरण के क्रम में जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, सागर, रीवा पर स्थित सर्किट कोर्ट पर पृथक से कैंप कार्यालय की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में न्यायिक प्रकरणों का संस्थान एवं निर्णय दर्शाने वाला माह 01 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 की स्थिति दर्शाने वाला वार्षिक पत्रक

<u>वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23</u>

क्र0	**01 फरवरी 2022 को प्रारंभिक विचाराधीन प्रकरणों की संख्या**	**01 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक दायर प्रकरणों की संख्या**	**01 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक कुल प्रकरणों की संख्या**	**01 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक निर्णित प्रकरण**	**31 दिसंबर 2022 को शेष प्रकरणों की संख्या**
1	8813	501	9314	159	9155

कार्यालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

(आंकड़े हजार रूपये में)

बजट व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22

क्र0	योजना का नाम	वर्ष 2021-22 का प्रावधान (पुनरीक्षित)	वर्ष 2021-22 का व्यय
2052-099-3657 राजस्व बोर्ड			
1	भारित	13850	9692
2	मतदेय	56269	44413
008-4070-00-800-999-3657-V			
1	मतदेय	1000	0

बजट व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23

क्र0	योजना का नाम	वर्ष 2022-23 का प्रावधान	वर्ष 31 दिसंबर 22 तक का व्यय
2052-099-3657 राजस्व बोर्ड			
1	भारित	17320	6791
2	मतदेय	72762	38521
2052-099-9545 विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण			
1	मतदेय	8000	नोट:- रूपये 20.00 लाख का पुनर्विनियोजन शीर्ष 23-000 वाहन का प्रतिस्थापन मद में किया गया।
008-4070-00-800-999-3657-V पूंजीगत मद			
		10800	0

अनुभाग अधिकारी,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

जेंडर बजट वित्तीय वर्ष 2022-23

क्र0	योजना का नाम	जेंडर बजट 2021-22	वर्ष 31 जनवरी 23 तक का व्यय
1	निरंक	निरंक	निरंक

अनुभाग अधिकारी,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व मण्डल के स्वीकृत पदों की जानकारी

दिनांक 31-01-2023 की स्थिति में

पदनाम	स्वीकृत पद	**स्थाई**	**अस्थाई**	**भरे पद**	**रिक्त पद**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
अध्यक्ष	1	1	0	1	0
प्रशासकीय सदस्य	1	1	0	1	0
सदस्य	3	3	0	1	2
सचिव	1	1	0	1	0
अवर सचिव	2	0	2	1	1
स्टॉफ ऑफिसर	1	1	0	1	0
लेखाधिकारी	1	1	0	1	0
अनुभाग अधिकारी	2	2	0	1	1
सहायक अनुभाग अधिकारी	2	2	0	0	2
सहायक वर्ग-1	10	8	2	4	6
सहायक वर्ग-2	18	18	0	08	10
वरिष्ठ निज सहायक	3	3	0	1	2
निज सहायक	10	9	1	2	8
दफ्तरी	1	1	0	0	1
जमादार	7	7	0	4	3
रिकार्ड लिफ्टर	1	1	0	0	1
योग	**64**	**59**	**5**	**29**	**37**
सीधी भर्ती वाले पद					
ग्रन्थपाल	1	0	1	0	1
सहायक वर्ग-3	12	12	0	10	2
शीघ्र लेखक	3	2	1	2	1
स्टेनोटायपिस्ट	5	5	0	5	0
वाहन चालक	7	0	7	2	5
भृत्य	31	28	3	21	11
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	06	0	6	0	6
स्थाईकर्मी	1	0	0	1	0
सीधी भर्ती वाले पद का योग	**66**	**47**	**18**	**41**	**26**
कुल योग	**130**	**106**	**23**	**71**	**59**